

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक : प01(15)ज0स10/2016

जयपुर, दिनांक 2 JAN 2017

सचिव,
मध्यप्रदेश-राजस्थान अन्तर्राज्यीय (सि./वि.)
नियंत्रण मण्डल, कोटा (राजस्थान)।

2 JAN 2017

विषय : मध्यप्रदेश-राजस्थान अन्तर्राज्यीय (सि./वि.) नियंत्रण मण्डल, कोटा के पुनर्गठन एवं पदों का युक्तियुक्तकरण बाबत।

सन्दर्भ : आपका पत्र क्रमांक सचिव/अनिम/स्था-11/2016/118-120 दिनांक 20.5.2016

महोदय,

मध्यप्रदेश-राजस्थान अन्तर्राज्यीय (सि./वि.) नियंत्रण मण्डल, कोटा (राज.) में कार्यरत वित्तीय ईकाई एवं प्रशासनिक ईकाई का पुनर्गठन एवं पदों के युक्तियुक्तकरण के प्रस्ताव के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा प्रशासनिक ईकाई के अन्तर्गत निम्नानुसार पद रखे जाने की सहमति प्रदान की जाती है :-

1. सहायक अभियंता एवं तकनीकी सहायक	01
2. निजी सहायक	01
3. सहा. लेखाधिकारी प्रथम	01
4. कार्यालय अधीक्षक	01
5. वरिष्ठ लिपिक	02
6. कनिष्ठ लिपिक	03
7. सहा0 कर्म0	04
8. वाहन चालक	01
कुल	15

उक्त पुनर्गठन के फलस्वरूप रखे जा रहे पदों के अतिरिक्त मध्यप्रदेश-राजस्थान अन्तर्राज्यीय (सि./वि.) नियंत्रण मण्डल, कोटा के अन्तर्गत पूर्ण में सृजित शेष पद समाप्त माने जायेंगे।

उक्त आदेश मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार एवं पदेन अध्यक्ष, मध्यप्रदेश-राजस्थान अन्तर्राज्यीय (सि./वि.) नियंत्रण मण्डल, कोटा (राजस्थान) से अनुमोदित है।

भवदीय

(आर.सी. डेनवाल)
संयुक्त शासन सचिव

कृप.उ.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सचिव, मा० मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल (मध्यप्रदेश)।
4. प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग मंत्रालय, भोपाल (मध्यप्रदेश)।
5. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग को संलग्न टिप्पणी अनुसार पदों के सृजन/समाप्ति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. शासन सचिव, कार्मिक विभाग को संलग्न टिप्पणी अनुसार पदों के सृजन/समाप्ति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राज० जयपुर।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा को संलग्न टिप्पणी अनुसार पदों के सृजन/समाप्ति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. वित्तीय सलाहकार, मध्यप्रदेश-राजस्थान अन्तर्राज्यीय (सि./वि.) नियंत्रण मण्डल, कोटा (राज०)
10. रक्षित पत्रावली।

Se-1 (15)

015 X.11

(आर.सी.डेनवाल)
संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जलसंसाधन, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक प्र. (191)स्था/मुअजसं/2013/353-355

जयपुर, दिनांक- 19/01/2017

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. निजी सचिव वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक/निजी सहायक/स्टेनो वास्ते अधीक्षण अभियन्ता एवं प्रा.स./अधीक्षण अभियन्ता (प्रशासन)/कार्य/विशेष योजना/विधानसभा/अन्तर्राज्यीय/प्रोजेक्ट मोनिटरिंग/ई-गवर्नेन्स/संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)/उप विधि परामर्शी कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जलसंसाधन, राजस्थान, जयपुर।
3. स्थापना शाखा प्रथम/द्वितीय/तृतीय/बजट शाखा/लेखा शाखा/गोपनीय/सांख्यिकी/ई.ओ./कैशियर/बिल/विधानसभा/आवक-जावक/कार्यालय हाजा।

JLNmarg Jala

(Signature)

अधीक्षण अभियन्ता एवं प्रावैधिक सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जलसंसाधन
राजस्थान, जयपुर।